अति आवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 6261/विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024 भोपाल, दिनांक 01/07/2024

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ————
वि./यां. परिक्षेत्र————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ————

विषय :– दैनिक वेतन भोगी (स्थायी वर्गीकृत घोषित/स्थाईकर्मी योजना का लाभ प्राप्त) कर्मचारियों द्वारा नियमित सेवा में संविलियन (नियमितीकरण) की मांग को लेकर दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में **''अभ्यावेदन निराकरण आदेश''** का प्रारूप भिजवाने विषयक।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में विभाग में निम्न दो प्रकृति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है:–

(1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्हें स्थायी वर्गीकृत घोषित कर **''रामनरेश रावत''** प्रकरण के समान पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतनवृद्धि छोडकर) का लाभ दिया गया है।

(2) ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी **''कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''** का लाभ दिया गया है।

यह पाया गया है कि दोनों ही प्रकृति के कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबी सेवा अवधि, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 5–3/2008/1/3 दिनांक 16.05.2007 द्वारा जारी नीति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 3595–3612/1999 (सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006 के आधार पर उनका नियमितीकरण किये जाने यानि उनकी सेवायें कार्यभारित स्थापना/नियमित स्थापना में संविलियन किये जाने के प्रकरण दायर किये जा रहे है।

परीक्षण करने के दौरान यह भी पाया गया है कि ऐसे अधिकांश मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा **''उमादेवी (सुप्रा)''** प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में, कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत इससे संबंधित अभ्यावेदनों का निराकरण करने के आदेश जारी किये जा रहे है।

1.7.2024

ऐसे ही एक प्रकरण **"खुर्शीद खान एवं 4 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य"** में, जो भोपाल परिक्षेत्र से संबंधित था तथा **जिसमें ऊपर उल्लेखित दोनों ही श्रेणीयों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल थे,** अभ्यावेदन का निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया गया है। अभ्यावेदन निराकरण आदेश की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में इस प्रकृति का कोई प्रकरण आपके परिक्षेत्र / मंडल / खंड के अधीनस्थ आता है तो जहां तक संभव हो, अभ्यावेदन का निराकरण इस आदेश प्रारूप के अनुसार ही करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर होने की स्थिति में समुचित प्रतिरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
अभ्यावेदन निराकरण आदेश प्रारूप

1.7.2024

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक / प्र.अ. / विधि– / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपी :– सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
अभ्यावेदन निराकरण आदेश प्रारूप

1.7.2024

प्रमुख अभियंता